

रामनवमी

वाद व कास्टिड स्कॉप
2018

10 न हठप्रवृत्त

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

मोस्वपट्ट सरकार
बनाम

M-45/2018 आदेश पत्रक

जमील खान वगैरे

24/3/18

अभिलेख संख्या :- एम. 45 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

99
24/3/18

थाना प्रभारी तपकरा औषी के अप्राथमिकी संख्या :- 1/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- ~~को मोहरम 2018~~

रामनवमी - 2018

जामल खा
24/3/18

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0 स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 28/3/18 को उपस्थापित करें ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

24/3/2018

4/8/18

द्वितीय पक्ष उपस्थिति

दिनांक - 31/8/18 को रोज

31/8/18

द्वितीय पक्ष उपस्थिति
आपना मत
दाखल करें। अगली दिनांक 11.9.2018
को रोज

11/9/18

द्वितीय पक्ष उपस्थिति। 31/8
जाय अजाय दागीपय विभा जमा
समय तक को हरा साक्षियों समय होकर
द्वितीय पक्ष से साक्षियों की संख्या नहीं
है यह बात ही कार्य वाही। समाप्त किये
जाय

11/9/18